रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227894
CG-DL-E-25062021-227894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2390] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943
No. 2390] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2581(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 85/2020, तारीख 27 अक्तूबर, 2020 में, जो संख्यांक का.आ. 3874(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खंड (ख) में, "30 जून, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "31 अगस्त, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "1 जुलाई, 2021" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर, "1 सितम्बर, 2021" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ;-

"(घ) 31 अक्तूबर, 2021, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन अंतिम तारीख होगी ।"।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं.75/2021/फा. सं. आईटी(ए)/01/2020-टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव (कर नीति व विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3847(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4804(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2020 द्वारा संशोधित की गई और 31 अक्तूबर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 471(अ), तारीख 31 फरवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 31 जनवरी, 2021 में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 964(अ), तारीख 26 परवरी, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में 26 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1704(अ), तारीख 27 अप्रैल, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल, 2021 को प्रकाशित की गई थी ।